148

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

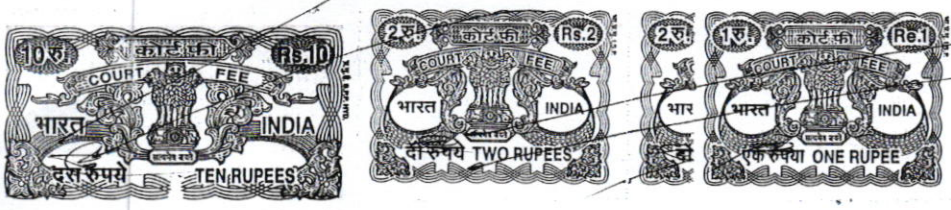

दिनेश साहू तनय स्व0 पुसुनुवा साहू उम्र 35 वर्ष, पेशा कृषि निवासी ग्राम भर्री तहसील उचेहरा अनुभाग नागौद जिला सतना म0प्र0 .....अपीलार्थी

बनाम

शासन म0प्र0 द्वारा पटवारी हल्का भर्री तहसील तहसील उचेहरा अनुभाग नागौद जिला सतना म0प्र0 .....रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 254/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 12.12.12 के विरूद्ध

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44 (2) म0प्र0भू0रा0संहिता

मान्यवर,

अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं :–

1– यह कि अपीलार्थी की पैतृक भूमि कमांक 97/553 व भूमि कमांक 96 जो बांध भूमि कमांक 97 की मेढ़ में मेरे पूर्वजों द्वारा 14 आम के वृक्ष कतारबद्ध तरीके से भूमि कमांक 97/553 व उसकी मेढ़ 96 में लगाये थे तथा उनका सेवा पालन कर तैयार किये गये थे।

2– यह कि उपरोक्त भूमि से लगी अपीलाथी की पैतृक भूमियॉ के बीच बीस कड़ी चौड़ी शासकीय रास्ता था जिसे ग्राम पंचायत ने लगभग 15 वर्ष पूर्व में सड़क निर्माण कर आवागमन कर तैयार किया गया था सड़क के उत्तर–दक्षिण अभी भी अपीलार्थी की भूमियॉ है दक्षिण की भूमि में कतार बद्ध आम के वृक्ष आज भी लगे हैं।

3– यह कि पटवारी हल्का द्वारा बिना संबंधित रास्ते का बिना पैमाइश किये ही यह निर्धारण करने का अधिकार नही था कि उपरोक्त आम का वृक्ष शासकीय भूमि में है या अपीलार्थी की भूमि कमांक 97/553 में है। उपरोक्त भूमि का बिना पैमाइश किये ही अपीलार्थी के विरूद्ध झूठी शिकायत की गई थी।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R821–II / 13 जिला–सतना

दिनेश साहू / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
24.01.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	